अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Digitally signed by Neeta Vasseeta
Date: 2022.06.29 12:41:04 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

उनवान

1. पन्नानाथ पिता छोगा नाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी जवानपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।

वादी

बनाम

1. नानानाथ पिता छोगा नाथ जाति नाथ आयु बालिग निवासी जवानपुरा तहसील राशमी राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब,राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री आरएल शर्मा — वादी।
एक तरफा — प्रतिवादी।

-:: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0टिनेन्सी एक्ट ::-

प्रकरण संख्या :- 083/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री आरएल शर्मा वकील वादी एवं प्रतिवादी एक तरफा में मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा जवानपुरा पटवार हल्का अडाना की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 283/1 रकबा 0.5301 है0 किस्म बारानी-2 लगान 2.28 रूपया का पन्नानाथ पिता छोगानाथ सा0देह, आराजी संख्या 283/1 मी0 रकबा 0.5302 है0 किस्म बारानी-2 लगान 2.30 रूपया का नानानाथ पिता छोगानाथ सा0देह,खातेदार घोषित किया जाता है, तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नीता बसीटा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(नीता बसीटा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी